न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम पदमाराम, भागीरथराम, मोलूराम, मोहनराम पुत्रान जमनाराम कुम्हार कुचामनसिटी		
प्रा.पत्र नम्बर 175/2022	GCMS No.2022/353	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.03.2024	अप्राथी मोहनराम एवं उनके अधिवक्ता श्री मेवाराम के द्वारा आवेदन–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 339 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहॉ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा जारी आदेश पत्रांक/न.प.कु./भूमि/2022–23/3511 दिनॉक 29.09.2022 के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की ली गई थी, जो आज दिन उक्त भूमि पुनग्रहित होकर नगपरपरिषद कुचामनसिटी के नाम दर्ज चली आ रही है, जिसकी छायां प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किय गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका कुचामनसिटी में द्वारा जारी प्ररूप–11 में आदेश दिनॉक 29.09.2022 इत्यादि के अवलोकन करने पर प्रश्नगत भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु दिनॉक 29.09.2022 को जारी होकर नगरपरिषद के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 27.10.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya Date: 2024.08.01 14:17:59 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते